राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन में समापन भाषण

----

17 January, 2020

विधान सभा, लखनऊ

यह बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग गोमती नदी के किनारे बसी सुन्दर नगरी लखनऊ में चर्चा, विचार-विमर्श एवं अंतरसंवाद के लिए एकत्रित हुए। पिछले दो दिनों में हमने सम्मेलन की थीम एवं निर्धारित विषयों पर सफलतापूर्वक विचार-विमर्श किया है। मैं इस विचार-विमर्श को जीवन्त और प्रासंगिक बनाने में आपकी सक्रिय भागीदारी और सार्थक योगदान के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

मुझे आशा है कि पिछले दो दिनों में किया गया विचार-विमर्श भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से एवं नीति निर्माण की दृष्टि से हमारे लिए काफी लाभदायक एवं मार्गदर्शी सिद्ध होगा।

मैं सम्मेलन में प्रतिभागियों की बडी संख्या और सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श में प्रतिभागिता के लिए माननीय पीठासीन अधिकारीगण का उत्साह देखकर अभिभूत हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी ने अपने विशद ज्ञान एवं लम्बे संसदीय अनुभव का अनूठा सम्मिश्रण प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत किया। संविधान को लेकर उनकी समझ बहुत स्पष्ट है और वे भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास को भी भलीभांति समझते हैं। माननीया राज्यपाल महोदया यहां उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा में और श्रीवृद्धि हो गई है।

साथियो, इस बार हम लोगों ने जो थीम रखा था –'विधायक की भूमिका', वह बहुत ही सामयिक एवं प्रासंगिक थी और हम सबके जीवन से जुडी हुई थी। इस पर बहुत ही सारगर्भित एवं उत्कृष्ट चर्चा हुई। इस चर्चा में देश भर से आए विधान मंडलों के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया और अपने बहुमूल्य एवं उपयोगी विचार सम्मेलन में रखे। उनके व्याख्यानों से यहां आए सभी प्रतिभागीगण लाभान्वित हुए।

मित्रो, जैसाकि हम सब जानते हैं, संसदें समाज में परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम हैं। चाहे वह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का मसला हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो। विधान मंडल विशेषकर संसद ही उनके कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो।

इस चर्चा में एक ओर जहां निर्वाचित संसद सदस्य अथवा राज्य के विधायकों को उनकी भूमिका के बारे में अवगत कराया गया वहीं उन्हें यह बताया गया कि जनप्रतिनिधि की लोकतंत्र में क्या महत्ता है।

निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य और जनता के बीच सेतु का काम करता है। जनप्रतिनिधि निरंतर जनता के साथ मेल-जोल और अंतरसंवाद करता रहता है। अत:, उससे यह आशा की जाती है कि वह आम नागरिकों के सरोकारों, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप किसी भी नीति के निर्माण के वक्त उनका पक्ष मजबूती से रखे।

इस सम्मेलन में चर्चा के लिए मुख्य विषय के अतिरिक्त दो अन्य विषय भी रखे गए थे। पहला विषय था - "बजटीय प्रस्तावों की संवीक्षा के संबंध में विधायकों का क्षमता निर्माण"।

विधायिका को कार्यपालिका के द्वारा राजकोषीय धन के उपयोग पर निगरानी रखनी होती है। इस संबंध में हमें नीति विशेषज्ञ चाणक्य की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए कि हम राजकोषीय धन का सदुपयोग कैसे सुनिश्चित करें।

जब बजट पेश होता है फिर उसकी संवीक्षा भी होती है। इस दौरान जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते सांसदों और विधायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करनी होती है कि बजट उपलब्ध संसाधनों के साथ देश की जरूरतों और जनता की अपेक्षाओं से कितना मेल खाता है।

इस संदर्भ में यह अत्यन्त आवश्यक है कि सांसद और विधायक वित्तीय टर्मिनोलोजी एवं बजटीय प्रक्रियाओं से अवगत हों। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिलाने की बात यहां की गई, जो सर्वथा उचित है।

दूसरे महत्वपूर्ण विषय "विधायी कार्यों पर विधायकों का ध्यान केंद्रित करना" पर भी यहां विस्तृत एवं सारगर्भित चर्चा हुई।

इस विषय पर हुई चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा विधान मंडलों में उपलब्ध विधायी साधनों के सार्थक इस्तेमाल पर भी बल दिया गया।

एक विधि निर्माता का कार्य विधान का निर्माण करना है अत:, उन्हें इस कार्य में निपुणता होनी चाहिए। एक विधायी निकाय की सफलता के लिए एवं विधान मंडलों में प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में जैसा कि मैंने पहले भी यह सुझाव रखा था कि यदि लोक सभा की तर्ज पर राज्य विधान सभाओं में भी सत्र के दौरान विधेयकों पर ब्रीफिंग सेशन आयोजित किए जाए, तो मैं समझता हूँ कि राज्य विधान मंडलों के विधायकों के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

कुल मिलाकर इस सम्मेलन के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है और जो सुझाव उभरकर सामने आए हैं, उन्हें मैं संक्षेप में आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा।

संसद और विधान मंडलों में सभा की कार्यवाही बिना व्यवधान सुचारू रूप से चले। पक्ष और प्रतिपक्ष नियमों के दायरे में ही अपनी-अपनी बात रखें। विरोध हो, पर गतिरोध न हो। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विधान मंडलों द्वारा कठोर नियम बनाए जाएं।

सभी विधान मंडलों में माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दों को शून्य काल के माध्यम से अधिक से अधिक उठाने का अवसर मिले। इसके लिए सभा का समय भी बढाया जा सकता है।

सभी विधान मंडलों के नियमों में एकरूपता लाई जाए।

लोक सभा सचिवालय की तर्ज पर सीपीए, भारत क्षेत्र के सभी विधान मंडलों का डिजिटलाइजेशन हो और इनमें आपस में कनेक्टिविटी बने।

ऐसे सम्मेलन हमारे विधायी निकायों में ठोस लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं को सुस्थापित करने और विभिन्न विधान मंडलों में आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेज (Best Practices) साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुझे इस बात का संतोष है कि सीपीए, भारत क्षेत्र का लखनऊ में आयोजित सातवां सम्मेलन बहुत सफल रहा।

मैं इस सम्मेलन के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी; उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित जी; उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री राम गोविन्द चौधरी जी; उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति, श्री रमेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े गर्मजोशी से हमारा आतिथ्य सत्कार किया और सम्मेलन के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था की।

मैं समस्त पीठासीन अधिकारीगण, माननीय विधायकगण सहित यहां आए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूँ कि वे सभी यहां पधारे, इस सम्मेलन को गरिमा प्रदान की एवं इसे सफल बनाया।

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रियों, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों एवं अन्य सभी एजेंसियों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन में अपना भरपूर सहयोग दिया।

मैं लोक सभा और राज्य सभा के महासचिवों एवं वहां के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का इस आयोजन को सार्थक बनाने में उनके निष्ठापूर्ण प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

मुझे विश्वास है कि सम्मेलन में पधारे सभी प्रतिनिधियों का प्रवास आरामदायक एवं आनंददायक रहा होगा एवं वे सभी सम्माननीय जन लखनऊ प्रवास की सुखद स्मृतियों के साथ अपने घरों को लौटेंगे एवं यहां की यादें उनके मन में लंबे समय तक ताजा रहेंगी।